

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 24 ए/2020

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा:- पिसांगन
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी

बनाम

(1) श्री राजू मेधवाल पुत्र श्री भंवर लाल मेधवाल,
पता:- 1222, बस्सी मोहल्ला, वार्ड नं0 2, पिसांगन,
तहसील पिसांगन, जिला अजमेर (राज.)

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- महेश शर्मा

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 07.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री राजू मेधवाल पुत्र श्री भंवर लाल मेधवाल निवासी :-1222, बस्सी मोहल्ला, वार्ड नं0 2, पिसांगन, तहसील पिसांगन, जिला अजमेर (राज.) को दिनांक 08.06.2018 को क्रमशः 12,50,000/-अक्षरे (बारह लाख पचास हजार रुपये), रु 53,200 (तरेपन हजार दो सौ रुपये मात्र), कुल ऋण 13,03,200/-अक्षरे (तेरह लाख तीन हजार दो सौ रुपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थी/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर वार्ड नं0 02, बस्सी मोहल्ला, पिसांगन, तहसील पिसांगन, जिला अजमेर(राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति जिसका पट्टा 02, बुक नं0 148 दिनांक 05.03.2013 को जारी किया गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1369.11 वर्गफिट है, जो श्री राजू मेधवाल पुत्र श्री भंवर लाल मेधवाल के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 06.09.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 14.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये-13,64,357/- (तेरह लाख चौसठ हजार तीन सौ सतावन रुपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्मलया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।



Delams
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति वार्ड नं० 02, बस्सी मोहल्ला, पिसांगन, तहसील पिसांगन, जिला अजमेर(राज.) स्थित पट्टा 02, बुक नं० 148 दिनांक 05.03.2018 अचल सम्पत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 1369.11 वर्गफिट है, जो श्री राजू मेधवाल पुत्र श्री भंवर लाल मेधवाल के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।



(Signature)
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर